जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा

वार्षिक शोध संगोष्ठी एवं पेटेंट जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 18 मार्च 2023 को जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा एवं विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक शोध संगोष्ठी व पेटेंट जागरूकता विषय पर कार्यशाला का आयोजन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ (IPR) तथा अनुसंधान व विकास प्रकोष्ठ (R &D) के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वंदना के साथ की गई । कार्यक्रम का ओपचारिक शुभारंभ प्राचार्य डॉ संजय भार्गव के द्वारा किया गया । कार्यक्रम समन्वयक डॉ विजय देवड़ा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ नीरजा श्रीवास्तव, सह आचार्य , राजकीय महाविद्यालय, कोटा डॉ प्रतिभा श्रृंगी सहायक प्रोजेक्ट ऑफिसर, डी एस टी कोटा क्षेत्र और डॉ विकास आसावत, पेटेंट ऑफिसर, भारत सरकार उपस्थित थे।इसके पश्चात महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रिका रिसर्च एरा का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। महाविद्यालय स्तर पर किए जा रहे इस कार्य को सभी अतिथियों द्वारा सराहा गया।

प्रथम सत्र में डॉ नीरजा श्रीवास्तव ने भौगोलिक संकेत के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भौगोलिक संकेत एक टैग है जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक या मानव निर्मित उत्पादों पर किया जाता है, जो किसी देश में किसी विशेष क्षेत्र या भौगोलिक मूल क्षेत्र से जुड़ा होता है। जीआई टैग कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री या निर्मित वस्तुओं जैसे उत्पादों को दिया जा सकता है। कोटा की डोरिया, बनारसी साड़ी, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004 में जी आई टैग दिया गया। भारत में सबसे ज्यादा जी आई टैग हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है। यह टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिया जाता है। यह स्थान के नाम से होता है तथा व्यक्तिगत न होकर एक कमेटी या संस्था को दिया जाता है। प्रत्येक 10 साल में जी आई टैग को रिन्यू करवाना पड़ता है। अभी तक कुल 432 जी आई टैग भारतीय उत्पादों को दिया गया है उसमें से सबसे ज्यादा कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। राजस्थान को सिर्फ 15 जी आई टैग प्राप्त है।

द्वितीय सत्र में डॉ विकास आसावत ने पेटेंट ड्राफ्टिंग और फाइलिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है। यह किसी आविष्कार के लिये दिया गया एक विशेष अधिकार है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया को दिया जाता है। उन्होंने पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया को समझाया तथा बूंदी के चावल को पेटेंट कराने में आ रही बाधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कॉपीराइट हमेशा एक्सप्रेशन पर होता है आइडिया पर कभी नहीं होता। किसी भी उत्पाद का डिजाइन भी पेटेंट का हिस्सा होता है।

डॉ प्रतिभा श्रृंगी ने क्विज प्रतियोगिता करवाई और विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर कोटा क्षेत्र से पेटेंट और जी आई टैग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

तृतीय सत्र में वार्षिक शोध संगोष्ठी के अंतर्गत महाविधालय में पंजीकृत शोधार्थियों के द्वारा अपने शोध कार्यों में हुई प्रगति का प्रस्तुतिकरण दिया गया । महाविधालय के सभी विभाग के विषय विशेषज्ञों ने शोधार्थियों के शोध कार्यों का समीक्षा कर उपयुक्त सुझाव दिया । महाविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे नैनोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण व प्रदूषण, जैवविविधता, पादप रोग, एनीमल डायवर्सिटी, वन्यजीव पर किए जा रहे शोध कार्य को प्रस्तुत किया।।विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ प्रतिमा श्रीवास्तव, डॉ फातिमा सुल्ताना, और डॉ रेनू त्यागी ने समीक्षा की। अन्त में आई क्यू ए सी प्रभारी डॉ शुचिता जैन ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ नितिका सिंह के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में महाविद्यालय की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाएं की छात्राएं व शोधार्थियों ने उत्साह से भाग लिया ।महाविद्यालय के सभी सहायक और सह आचार्य ने पंजीकरण कर कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीदारी दी।

SANJAY BHARGAVA

Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.13 15:39:02 +05'30'